Note : The principal notification No. 4/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 676(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by Notification No. 11/2018-Central Tax (Rate) dated 28th May, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 504(E), dated the 28th May, 2018.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 11/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 696(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12), की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, जिसे सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने, -

(i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नि: शुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

(ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स)" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, "खाद्य निर्मितियों" शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, "माल" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 39/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, को सा.का.नि. 1310(अ), दिनांक 18 अक्तूबर, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

No. 11/2021-Central Tax (Rate)

G.S.R. 696(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1,

(i) in column (3), for the entry, the entry "(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;

(b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government." shall be substituted;

(ii) in column (4), in the entry, for the words "food preparations" at both the places, where they occur, the word "goods" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2021.

[F. No. 190354/206/2021-TRU]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Note : The principal notification No. 39/2017-Central Tax (Rate), dated the 18th October, 2017, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 1310(E), dated the 18th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सं. 12/2021-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 697(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (इस अधिसूचना में इसके बाद जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तु जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्षक, शीर्षक या अध्याय, जैसी भी स्थिति हो के अंतर्गत आती है, को उक्त अधिनिमय की धारा 9 के अंतर्गत उस पर लगाए जाने वाले उतने केन्द्रीय कर से छूट देती है जो की उक्त सारणी के कॉलम (4) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर से संगणित राशि से अधिक है, यथा: -

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तु का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	30	टोसीलिज़ुमैब	शून्य
2	30	एम्फोटेरिसिन बी	शून्य
3	30	रेमडेसिविर	2.5%
4	30	हेपरिन (एंटी-कौयगुलांट)	2.5%
5	30	इटोलिज़ुमाब	2.5%
6	30	पॉसकोनाज़ोल	2.5%
7	30	इनफ्लिक्सिमैब	2.5%
8	30	बामलानिविमाब और एतेसेविमाब	2.5%
9	30	कासिरिविमाब और इम्देवीमाब	2.5%
10	30	2-डिओक्सी-डी-ग्लूकोज	2.5%
11	30	फ़ेविपिराविरि	2.5%

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2021 से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2021 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/206/2021-टी.आर.यू]

राजीव रंजन, अवर सचिव